उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन अधिनियम, 2021[1]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन् 2021)

जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन विधेयक, 2021 पर दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ उत्तर प्रदेश गजट असाधारण में दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 को प्रकाशित कराया गया।

कतिपय अधिनियमितियों , जो वर्तमान समय में अप्रचलित और अनावश्याक हो गयी हैं , का निरसन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन

2–नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ , rn}kjk निरसित की जाती हैं।

व्या–वृत्ति

3–इस अधिनियम }kjk किसी अधिनियमिति के निरसन से ,-

)क (ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो , सम्मिलित की गयी हो या fufn"V हो ;

)ख (पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित , प्रोnभूत या उपगत किसी अधिकार , हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण , शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व कृ त्यि कार्य या बात के प्रमाण की विधि मान्यता , अविधिमान्यता , अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे ;

)ग (इस बात के होते हुए कोई fl)kUr या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, i)fr या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा fo|eku प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार , निर्बन्धन , छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे कि , rn}kjk निरसित किसी अधिनियमिति }kjk, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा ;

)घ (कोई अधिकारिता , पद , रूढ़ि , दायित्व , अधिकार , हक , विशेषाधिकार , निर्बन्धन, छूट, प्रथा, i)fr, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति vfo|eku या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे ;

---

[1]. उद्दश्य और कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

)ङ (लेखा-परीक्षा, परीक्षा , लेखांकन , अनुसन्धान , जाँच या तत्सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी }kjk कृत या की जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और ऐसी लेखा -परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या कार्यवाही की जा सकती है , और या जारी रखी जा सकती है मानों उक्त अधिनियमितियाँ इस अधिनियम }kjk निरसित न की गयी हों।

अनुसूची

)धारा 2-देखें(

निरसित किये जा रहे अधिनियम

1	संयुक्तकप्रान्तन फेमिन रिलीफ फण्ड एक्ट 1936 ,संयुक्त| प्रान्ती अधिनियम संख्या 10 सन् (1936
2	कुमायूं एनिमल Vkl ikV्र कन्ट्रोल)संशोधन (एक्ट) 1950 ,उत्ततर प्रदेश अधिनियम संख्याम सन् (1950
3	उत्तर प्रदेश Qfeu रिलीफ फण्ड)संशोधन (अधिनियम) 1952 ,उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् (1953
4	उत्तर प्रदेश Qfeu रिलीफ फण्ड)संशोधन (एक्ट) 1961 ,उत्त(र प्रदेश अधिनियम संख्याम19 सन् (1961
5	उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा)अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (अधिनियम) 1997 ,उत्तिर प्रदेश अधिनियम संख्या14 सन् (1997
6	उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा)अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन (अधिनियम) 1999 ,उत्त र प्रदेश अधिनियम संख्या9 सन् (1999
7	किंग जॉर्ज चिकित्सा fo'ofo|ky;) संशोधन (अधिनियम) 2004 ,उत्तखर प्रदेश अधिनियम संख्या4 सन् (2004
8	उत्तर प्रदेश किंग जॉर्ज दन्त विज्ञान fo'ofo|ky;)संशोधन (अधिनियम) 2006 ,उत्ततर प्रदेश अधिनियम संख्याप6 सन् (2006
9	उत्तर प्रदेश किंग जॉर्ज दन्त विज्ञान fo'ofo|ky;) निरसन (अधिनियम) 2007 ,उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्याप7 सन् (2007
10	उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान ,सैफई)संशोधन (अधिनियम) 2009 ,उत्तशर प्रदेश अधिनियम संख्या् 13 सन् (2010
11	उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान ,सैफई)संशोधन (अधिनियम) 2013 ,उत्तशर प्रदेश अधिनियम संख्या् 20 सन् (2013

उद्देश्य एवं कारण

यह विधेयक उन आवधिक उपायों में से एक आवधिक उपाय है जिनके }kjk उन अधिनियमितियों, जो प्रवर्तन में नहीं रह गयी हैं या अप्रचलित हो गयी हैं, का निरसन किया जाता है | राज्य विधि आयोग की सिफारिश पर तथा नागरिकों एवं m|kxk के लिये कारबार में सुगमता प्रदान करने हेतु विनियामक अनुपालन सम्बन्धी भार को कम करने तथा वैधीकरण के उद्देश्य से वर्तमान में अप्रचलित तथा अनुपयोगी हो चुकी या पृथक अधिनियमों के रूप में बने रहना अनावश्यक हो चुकी अधिनियमितियों का प्रशासकीय विभागों से तत्सम्बंध में सहमति प्राप्त करने के पश्चात् वर्ष 2021 d। राज्य विधान मंडल में विधेयक पुरःस्थापित करके, निरसन किये जाने का विनिश्चय किया गया है |

तद्नुसार उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन विधेयक, 2021 पुरः स्थापित किया जाता है |